

आज ईलाहाबाद न्यायालय में  
लायी जाणर उतिवाही नं. 2 की  
Ex. पार्टी की जाती है।

पत्रावली में कारी नं. 1 व 2  
ने सा शपथ पत्र प्रत्येक परिणाम

साध्य चाही हेतु PW1 भगवानचन्द  
PW2 मनसा राम PW3 हफूल PW4

सुरेश चेश किये जा वल्ले साक्षर

पत्रावली पेश किये गये वारी

अन्य साक्षी पेश नहीं माना

वाहते हे लक्ष्यत चाही वंश की

जाती है। पत्रावली वाहते कहल

मिसल दिनांक 22/06/18 को पेश

है। ✓

22/06/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अमि-

यान: न्याय आफिस द्वारा - 2018 के तहत अदालत

सेवा केंद्र एलावता में पेश हुई। वकील वाकिफा

उपस्थित। उल्लाहा में कहल वकील वाकिफा

सुनी गयी। दोहारे कहल वकील वाकिफा ने

अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहारे

इए मुताबिक अनुलोष दावा डिक्री फलामा

जाने का निर्बंदन किया।  
पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व



उत्तराखण्ड  
22/06/18

रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद किंग्डम पर मजमें आग्र में पूछताछ फर्द मौका खनाकर की गई। फर्द मौका में अंकित किया कि विवादी कृषि भूमि ख. नं. 503, 505 एका 3.13 है। तन ग्राम फतेहपुर प. ह. तलावता तहसील खण्डेला पर मजमें आग्र में की गई पूछताछ के आधार पर वर्तमान में उतिवादीया सं. 1 फूल केवर के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा की कृषि भूमि पर वादीगण मंगलाचम व मेशाचम पुत्रगण तिल्लाचम जाति जाट नि. फतेहपुर (तलावता) का ही कब्जाकाशत पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व लोक अदालत की प्रसना से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा चौखण इस आराम की जारी की जाती है कि :-

आदेश



तन ग्राम फतेहपुर प. ह. तलावता तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 503, 505 एका 3.13 है। में उतिवादीया सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा  $\frac{3}{8}$  में हिस्सा  $\frac{1}{2}$  अर्थात् हिस्सा  $\frac{3}{16}$  से उतिवादीया सं. 1 का नाम हजक किया जाकर वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उक्तनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दामद से तदनुसार पन्चा डिक्री जारी है। फावरी कैलल शमाए होकर तबब से कम है तथा बाइ तलमील दखिल दफत हो। निर्णय मजमें आग्र सुनाया गया।

22/1/20

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उपनाम  
① मंगलचन्द \* बनाम ① शुलकवट \*

दावा बाबत घोषणा व स्वामी विवेचाना

मुकदमा नम्बर :- 11/2014

निर्णय दिनांक :- 22/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी  
मिनजानिब मुददई रुबरु श्री राजेन्द्र जाखड़

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तब ग्राम फतेहपुर प.ह. लावता तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि श्रेणी  
ख. नं. 503, 505 लब्दा 3.13 हे. में प्रतिवादिना सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 3/8 में  
हिस्सा 1/2 अर्थात् हिस्सा 3/16 ले प्रतिवादिना सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर  
वादीगण को खालीदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उन्नानुसार  
राजस्व रकॉर्ड में अमल दायम है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।  
यह आज दिनांक 22/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



भागीरथ शाख  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़

※ ① मंशा राम पुत्रगण तिल्लाराम

जाति जाट निवासी तन ग्राम फतेहपुरा (एलावता)

तहसील छठेला जिला सीकर (राज.)

- वादीगण




धनाम

※ पत्नी सुन्दरसिंह जाति जाट निवासी तन ग्राम फतेहपुरा  
(एलावता) तहसील छठेला जिला सीकर (राज.)

② भूमिधारी तहसीलदार छठेला जिला सीकर (राज.)

- प्रतिवादीगण

  
भागीरथ शाख  
(RAS)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) सप्टेंबर

